

# Haryana Government Gazette Extraordinary

### Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 210–2021/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, DECEMBER 16, 2021 (AGRAHAYANA 25, 1943 SAKA)

#### HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

### Notification

The 16th December, 2021

No. 32-HLA of 2021/88/ 31675.— The Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Amendment and Validation) Bill, 2021. is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 32-HLA of 2021

# THE HARYANA SCHEDULED ROADS AND CONTROLLED AREAS RESTRICTION OF UNREGULATED DEVELOPMENT (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2021

### A BILL

further to amend the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Amendment and Validation) Act, 2021.

2. In sub-section (1) of section 12C of the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, for the words and sign "whom one shall be of the rank of Chief Engineer, having special knowledge about roads and highways", the words "whom one shall be or has been of the rank of Chief Engineer having special knowledge about roads and highways" shall be substituted.

Notwithstanding anything contrary contained in any judgment, decree or order of any court or tribunal or any authority, any action taken, order issued, things done, proceedings purporting to have been taken or done by the Government or by the Director or by any other person or by the tribunal so constituted under sub-section (1) of section 12C with effect from the date of the publication of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Ordinance, 2016 (Haryana Ordinance No.5 of 2016), in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 7th December, 2016, till the publication of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Act, 2017 (29 of 2021), in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 23rd November, 2021, shall be deemed to be valid and effective in accordance with the provisions of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Act, 2017 (29 of 2021).

Short title.

Amendment of section 12C of Punjab Act 41 of 1963.

Validation.

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This has been proposed primarily to make express statutory provisions to clarify the provisions of section 12C of the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and further to validate various actions taken and being taken by the Government/Department notwithstanding the conflicting judicial pronouncements, if any, on the issue.

Hence, the Bill.

MANOHAR LAL, Chief Minister, Haryana.

Chandigarh: The 16th December, 2021.

R. K. NANDAL, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 32 एच.एल.ए.

हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021

> हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. यह अधिनियम हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित सड़क अनियमित विकास निर्बन्धन संक्षिप्त नाम। (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।
- 2. हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा 12 ग की उप—धारा (1) में, "जिनमें एक सड़कों तथा राजमार्गों के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाले मुख्य अभियन्ता की पदवी का होगा" शब्दों के स्थान पर, "जिनमें एक सड़कों तथा राजमार्गों के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाले मुख्य अभियन्ता की पदवी का होगा या रहा है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1963 के पंजाब अधिनियम 41 की धारा 12ग का संशोधन।

विधिमान्यकरण।

किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, सरकार द्वारा या निदेशक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या धारा 12 ग की उप—धारा (1) के अधीन इस प्रकार गठित अधिकरण द्वारा हरियाणा राजपत्र (असाधारण) दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 में पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5) के प्रकाशन की तिथि से हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 23 नवम्बर, 2021 में पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2017 (2021 का 29) के प्रकाशन की तिथि

किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिकी या आदेश में दी गई

अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2017 (2021 का 29) के प्रकाशन की तिथि तक की गई कोई कार्रवाई, जारी किया गया आदेश, की गई बात, किए जाने के लिए तात्पर्यित या की गई कार्यवाहियां, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2017 (2021 का 29) के उपबन्धों के अनुसार वैध तथा प्रभावी समझी जाएंगी।

## उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

यह मुख्य रूप से हरियाणा अनुसूचित सड़कों और नियंत्रित क्षेत्रों के अनियंत्रित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 12 ग (1) के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट वैधानिक प्रावधान करने और सरकार / विभाग द्वारा की गई विभिन्न कार्यवाईयों को मान्य करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस विषय पर न्यायिक घोषणायें, यदि कोई हों ।

इसलिए बिल ।

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2021. आर० के० नांदल, सचिव।

9419—H.V.S.—H.G.P. Pkl.